न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सारायण

अनुवान रोशनी देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –275/2025

निर्णय दिनांक 01/07/25

रोशनी देवी पत्नी हीराराम जाति जांगिड़ निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर सारायण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 406 खसरा नं. 997/155 तादादी 1.2645 हैक्ट., भूमि रोही ग्राम सारायण में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीनी का निवास स्थान तारानगर दर्ज है जो कि गलत है सही निवास स्थान सारायण है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थीनी का निवास स्थान सारायण किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम सारायण तहसील तारानगर के खाता संख्या 406 खसरा नं. 997/155 तादादी 1.2645 हैक्ट., भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीनी का निवास स्थान तारानगर Delete कर इसके स्थान पर सारायण अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/25 को कैम्प कोर्ट सारायण में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

तारानगर (चूरू)